राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3402/2025

राजपाल सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस एवं मुख्यालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, जयपुर, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
4. उपपुलिस महानिरीक्षक, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
5. पुलिस उपायुक्त मुख्यालय, सचिव सदस्य चयन बोर्ड।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.07.2025
आदेश की दिनांक :
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री खुशहाल सिंह राठौड़, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी वर्ष 2021–22 की रिक्तियों के विरुद्ध पुलिस निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु लिखित परीक्षा में अपीलार्थी का आउटडोर एवं साक्षात्कार न कराने के प्रतिवादियों के आदेश दिनांक 6.4.2025 से व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी राजस्थान पुलिस में कार्यरत है और वर्तमान में एसीबी कोटा ग्रामीण में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा आदेश दिनांक 13.2.2025 जारी कर वर्ष 2021–22 की रिक्तियों पर पदोन्नति हेतु पात्रता परीक्षा आयोजित करने हेतु जारी की गई अस्थायी पात्रता/वरिष्ठता सूची एवं अपात्रता सूची के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित की गईं तथा इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक एसीबी राजस्थान जयपुर के माध्यम से अपीलकर्ता को भी दी गई। (अनुलग्नक–2) तत्पश्चात पुलिस उपायुक्त मुख्यालय, पुलिस आयुक्तालय जयपुर (सदस्य सचिव चयन बोर्ड) ने अपने आदेश दिनांक 25.2.2025 द्वारा अंतिम पात्रता वरिष्ठता सूची जारी की, जिसमें राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के प्रावधानों के अनुसार रिक्ती वर्ष 2021–22 हेतु 127 पदों (एससी–21, एससी–22 सामान्य–84) की रिक्तियों पर पदोन्नति हेतु दिनांक 8.3.2025 और 9.3.2025 को आयोजित होने वाली तीन प्रश्न पत्रों (कानून और प्रक्रिया, जांच और व्यावहारिक पुलिस प्रक्रिया) की लिखित परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई। उक्त पात्रता सूची में अपीलार्थी का नाम

रोल/वरिष्ठता संख्या 76 में कोटा रेंज में तैनात दर्शाया गया था। परीक्षा की तिथियां बाद में दो बार बदली गई, जिसमें पहली बार आदेश दिनांक 2.3.2025 द्वारा 10.03.2025 एवं 11.03.2025 और अंत में आदेश दिनांक 7.3.2025 द्वारा तिथियां 22.3.2025 तथा 23.3.2025 निर्धारित की गई है। (अनुलग्नक–3,4 व 5) अपीलार्थी उक्त परीक्षा में शामिल हुआ था और लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रति आशावान था, क्योंकि वह पहले भी दो बार इसी प्रकार की परीक्षाएं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर चुका था। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय, पुलिस आयुक्तालय जयपुर (सदस्य सचिव चयन बोर्ड) ने अपने आदेश दिनांक 6.4.2025 द्वारा 23.4.2025 को आयोजित होने वाले आउटडोर और साक्षात्कार के लिए सफल निरीक्षकों की सूची जारी की। अपीलार्थी का नाम दिनांकित उक्त सूची में नहीं था, जबकि उसने तीनों प्रश्नपत्रों के प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे। अपीलार्थी अपने चयन हेतु विज्ञापित 84 रिक्तियों में से 50वें स्थान पर था। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को इस संबंध में अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी विभाग के प्राधिकारी तीनों प्रश्नपत्रों की उसकी उत्तर पुस्तिका की पुनः जाँच की जावे और तदनुसार उचित आदेश पारित करेंगे। (अनुलग्नक–6) प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि आउटडोर और साक्षात्कार 23.4.2025 को आयोजित होने वाले हैं। प्रत्यर्थी विभाग की निष्क्रियता से व्यथित होकर अपीलार्थी ने एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5674/2025 माननीय न्यायालय जयपुर पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किए, जिस पर प्रत्यर्थी विभाग ने जवाब दाखिल किया और उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने 3.7.2025 को याची द्वारा याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया और प्रत्यर्थी विभाग को अपनी शिकायत के निवारण हेतु कानून के तहत उपलब्ध वैकल्पिक उपाय अपनाने की स्वतंत्रता दी। (अनुलग्नक–7) इस बीच, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एसबी रिट याचिका संख्या 8429/2021, सिविल राजबीर सिंह बनाम राजस्थान एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.7.2022 के आलोक में दो माह के भीतर बोर्ड/समिति का गठन करने और उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच कराने का आदेश दिनांक 20.1.2025 पारित किया गया। सिविल एसबी याचिका रिट संख्या 12147/2024 रामपाल यादव व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, सिविल एसबी और रिट याचिका संख्या 12148/2024 ताराचंद व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में उत्तर पुस्तिका की पुनः जाँच और परिणाम तुरंत घोषित करने के संबंध में पारित आदेश के दृष्टिगत अधिकरण ने तीन अपीलों पर निर्णय देते हुए दिनांक 2.6.2025 को आदेश पारित कि नये बोर्ड का गठन किया जाकर अपीलार्थी की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच

की जावे एवं सफल पाये जाते है तो उनकी पदोन्नति प्रकिया आगे बढाई जावे। (अनुलग्नक–8)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी का चयन न करने की सीमा तक दिनांक 6.4.2025 के आदेश/सूची को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को नया बोर्ड गठित करने और दिनांक 22.3.2025 और 23.3.2025 को आयोजित पात्रता परीक्षा लिखित परीक्षा के सभी तीन प्रश्न पत्रों के अपीलार्थी की उत्तर पुस्तिका को बोर्ड के माध्यम से जांचने के लिए निर्देशित किया जावे एवं सफल होने पर अपीलार्थी को चयन प्रक्रिया में शामिल करें और चयन वर्ष 2021–22 की रिक्तियों के विरुद्ध निरीक्षक के पद पर सामान्य श्रेणी में पदोन्नति प्रदान किए जाने के निर्देश दिए जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी राजस्थान पुलिस में कार्यरत है और वर्तमान में एसीबी कोटा ग्रामीण में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक हेतु वर्ष 2021–22 की रिक्तियों पर पदोन्नति हेतु जारी अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 25.02.2025 में अपीलार्थी का नाम कमांक 76 पर है। वर्ष 2021–22 हेतु उपलब्ध रिक्त 127 पदों (एससी–21, एससी–22 सामान्य–84) की रिक्तियों पर पदोन्नति हेतु दिनांक 8.3.2025 और 9.3.2025 को तीन प्रश्न पत्रों की लिखित परीक्षा आयोजित की गई। अपीलार्थी उक्त परीक्षा में भाग लिया परंतु पुलिस उपायुक्त मुख्यालय, पुलिस आयुक्तालय जयपुर ने आदेश दिनांक 6.4.2025 द्वारा 23.4.2025 को आयोजित होने वाले आउटडोर और साक्षात्कार के लिए सफल कार्मिकों की सूची जारी की, जिसमें अपीलार्थी का नाम नहीं था, जिसको इस अपील में चुनौती दी जाकर नये बोर्ड का गठन कर उत्तर पुस्तिकाओं को पुनः जांचने एवं लिखित परीक्षा में सफल रहने पर पदोन्नति की अग्रिम प्रकिया में शामिल करने का अनुतोष चाहा है।

माननीय उच्च न्यायालय ने दायर एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12147/2024 रामपाल यादव और अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य और एन. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12148/2024 तारा चंद और अन्य बनान राजस्थान राज्य और अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.01.2025 द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की फिर से जांच करने और उस रिट याचिकाओं में अपीलार्थीगण के परिणाम को तुरंत फिर से घोषित करने का निर्देश दिया। अधिकरण द्वारा भी अपील संख्या 2533/2025, 2575/2025 एवं 2619/2025 में उत्तर पुस्तिकाओं

की पुनः जांच करने एवं उत्तीर्ण पाये जाने की दशा में अग्रिम पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल करने पर आदेशित किया है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत हम प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश देना समीचीन समझते है कि प्रत्यर्थी विभाग नये बोर्ड का गठन कर एक माह की अवधि में उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच करने की कार्यवाही सम्पादित करे एवं अपीलार्थीगण उत्तीर्ण पाये जाने की दशा में उनको पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल कर अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जावे।

हस्तगत अपीले इस प्रक्रम पर लम्बित प्रार्थना पत्रों सहित निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष